

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मंजोखी

तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वनभूमि), (5.659 है० सिविल सोयम भूमि), (0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.659 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंजोखी द्वारा दिनांक 09/01/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मंजोखी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 5.659 प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत वि० अधिकारी



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 09/01/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मंजोखी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेशानन्द	महेशानन्द
2	दिलवर सिंह	Bilbar Singh
3	बलराम सिंह	बलराम सिंह
4	यशपाल सिंह	यशपाल सिंह
5	जगदीप सिंह	जगदीप सिंह
6	भारत सिंह	भारत सिंह
7	श्री विप्रानाथ सिंह	विप्रानाथ सिंह
8	जगदीप सिंह	जगदीप
9	भारत सिंह	भारत सिंह
10	देवी सिंह	देवी सिंह
11	श्रीमती आशा देवी	आशा देवी
12	गोले सिंह	गोले सिंह
13	मान सिंह	मान सिंह
14	चन्द्र मिश्रा	चन्द्र मिश्रा
15	श्रीमती प्रभा देवी	प्रभा देवी
16	श्रीमती मन्मता देवी	मन्मता देवी
17	श्रीमती मन्मता देवी	मन्मता देवी
18	श्रीमती अरुणा देवी	अरुणा देवी
19	श्रीमती सिद्धा देवी	सिद्धा देवी
20	सचिदानन्द	सचिदानन्द
21	विमोद कुमार	विमोद कुमार
22	महेश राय	महेश राय
23	सोहन लाल	सोहन लाल
24		श्रीमती छोटो
25		प्रमुख
26		हस्त पंचायत द्वारीखाल
27		वि०ख० द्वारीखाल
28		बदल
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडौन

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) (0.00 है० आरक्षित वनभूमि), (5.659 है० सिविल सोयम भूमि), (0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 5.659 है० वनभूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक 31.01.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कमलेश मेहता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री कमलेश मेहता उपजिलाधिकारी ----- अध्यक्ष
- 2- श्री धीरेश चर गढ़वाल उप प्रभागीय वनाधिकारी ----- सदस्य
- 3- श्री कापिल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी ----- सदस्य
- 4- श्री मनी देवी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र ----- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) परियोजना हेतु 5.659 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 5.659 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लैन्सडौन
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील- लैन्सडौन
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लैन्सडौन
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

FORM 1
(for linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri

No. 1212/26-502170 अति. (प्राथमिक ज्ञान) 2018

Dated 2/2/18

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.659 hectares** of forest land proposed to be diverted in fovour of Rural Development Deparment (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Manjokhi Villages(s)** in Lansdowne tehsils.

- (a) The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.659 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not invovle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
 District Collector Garhwal
 Pauri Garhwal

गढ़वाल

FORM 1
(for project of other linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri

No. 1212/26-प्रबन्ध आदि (सामान्य प्रशासन) 2018 Dated 2/2/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **5.659 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Manjokhi villages(s) in Lansdowne tehsils.
 It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.659 hectares** of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of Manjokhi villages(s) is enclosed as annexure annexure 1 to annexure 4.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The Right of primitive travel group and pre agriculture communities when applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
 District Collector Garhwal
 Pauri Garhwal

ANNEXURE.....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT:- GARHWAL PAURI (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pauri Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I. A.S deputy commissioner Garhwal on dated 2/2/18 at time 1:15 PM at Pauri in which application claiming rights in area measuring **5.659 hectares** for the construction of **K.M 57.00 TO2 (ODR) to Manjokhi Motor Road (7.600 K.M)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri

Dated: 2/2/18.

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of K.M 57.00 TO2 (ODR) to Manjokhi Motor Road (7.600 K.M) regarding FRA is as following :

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 5.659 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre- agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

श्रीमती छाटी देवी
जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल
वि०ख० द्वारीखाल
गढ़वाल
श्रीमति कुसुम बिष्ट
जिला पंचायत सदस्य
11 मंजोखी अंचल चंदपुर
जिला - पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैक्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैक्सडौन
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैक्सडौन

(सुशील कुमार)
जिला अधिकारी गढ़वाल
गढ़वाल